

वदिशी अंशदान (वनिियमन) अधनियिम में संशोधन

प्रलिमिस के लयि:

वदिशी योगदान (वनिियमन) अधनियिम (एफसीआरए), 2010, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), प्रेषण, वदिशी मुद्रा भंडार, व्यापार घाटा

मेन्स के लयि:

एफसीआरए अधनियिम में परविरतन और इसका महत्त्व, वदिशी अंशदान (वनिियमन) संशोधन अधनियिम, 2020

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय ने वदिशी अंशदान (वनिियमन) अधनियिम (FCRA) के कुछ प्रावधानों में संशोधन कयि।

- मंत्रालय ने **नवंबर 2020 में FCRA नयिमों को सख्त बना** दयि था, जससे यह स्पष्ट हो गया था कि **गैर-सरकारी संगठन (NGO)** जो सीधे कसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं, लेकिन बंद, हड़ताल या सड़क अवरोधों जैसी राजनीतिक कार्रवाई में संलग्न हैं, को राजनीतिक प्रकृति माना जाएगा यदवे सक्रिय राजनीति दलीय राजनीति में भाग लेते हैं। कानून के अनुसार, धन प्राप्त करने वाले सभी गैर-सरकारी संगठनों को FCRA के तहत पंजीकृत होना होगा।
- यह कदम तब उठाया गया है जब सरकार ने **सोने** के आयात पर आयात शुल्क को 7.5% से बढ़ाकर 12.5% कर दयि है ताकि सोने के आयात को हतोत्साहित कयि जा सके जससे व्यापार घाटे में वृद्धि होती है और मुद्रा तथा वदिशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है।
 - सोने पर आयात शुल्क में वृद्धि से आयात की लागत में वृद्धि होगी और यह आयात और खपत को हतोत्साहित करेगा।

वदिशी योगदान (वनिियमन) अधनियिम:

- **परचिय:**
 - FCRA को 1976 में आपातकाल के दौरान इस आशंका के माहौल में अधनियिमति कयि गया था कि वदिशी शक्तियाँ स्वतंत्र संगठनों के माध्यम से धन भेजकर भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं।
 - इन चिंताओं को **संसद में वर्ष 1969 में ही व्यक्त कर दयि गया था।**
 - कानून ने व्यक्तियों और संघों को वदिशी दान को वनिियमति करने की मांग की ताकि वे "एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों के अनुरूप" कार्य कर सकें।
- **उद्देश्य:**
 - वदिशी दान प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्तिय एनजीओ को अधनियिम के तहत पंजीकृत होने, वदिशी धन की प्राप्तिके लयि **एक बैंक खाता खोलने और उन नधियों का उपयोग केवल उसी उद्देश्य** के लयि करने की आवश्यकता है जसके लयि उन्हें प्राप्त कयि गया है, जैसा कि अधनियिम में निर्धारित है।
 - यह अधनियिम चुनावों के लयि **उम्मीदवारों, पत्रकारों या समाचार पत्रों और मीडिय प्रसारण कंपनियों, न्यायाधीशों तथा सरकारी कर्मचारियों, वधायिका के सदस्यों एवं राजनीतिक दलों या उनके पदाधिकारियों** व राजनीतिक प्रकृति के संगठनों द्वारा वदिशी धन प्राप्त करने पर रोक लगाता है।
- **संशोधन:**
 - इसे वर्ष 2010 में वदिशी धन के उपयोग पर "कानून को मज़बूत करने" और "राष्ट्रीय हति के लयि हानिकारक कसी भी गतिविधि" हेतु उनके उपयोग को "प्रतिबंधित" करने के लयि संशोधित कयि गया था।
 - वर्तमान सरकार द्वारा **वर्ष 2020 में कानून में पुनः संशोधन** कयि गया, जससे सरकार को गैर- सरकारी संगठनों द्वारा वदिशी धन की प्राप्तिके लयि और उपयोग पर सख्त नियंत्रण एवं जाँच करने की शक्ति प्राप्त हुई।

प्रमुख परविरतन:

- यह भारतीयों को FCRA के तहत वदेशों में अपने रशितेदारों से सालाना 10 लाख रुपए तक प्राप्त करने की अनुमति देता है।
 - पहले यह सीमा 1 लाख रुपए थी।
 - यदि राशि अधिक हो जाती है तो व्यक्तियों के पास अब 30 दिन पहले के बजाय सरकार को सूचित करने के लिये 90 दिन का समय होगा।
- इसने व्यक्तियों और संगठनों या गैर-सरकारी संगठनों को धन प्राप्त करने के लिये FCRA के तहत 'पंजीकरण' या 'पूर्व अनुमति' प्राप्त करने के लिये आवेदन हेतु 45 दिन का समय दिया है।
 - पहले यह 30 दिन था।
- वदेशी फंड प्राप्त करने वाले संगठन प्रशासनिक उद्देश्यों के लिये इस तरह के फंड का 20% से अधिक उपयोग नहीं कर पाएंगे।
 - वर्ष 2020 से पहले यह सीमा 50% थी।
- संगठनों या व्यक्तियों पर सीधे मुकदमा चलाने के बजाय FCRA के तहत पाँच और अपराधों को "समाधेय" बनाते हुए 12 कर दिया।
 - इससे पहले FCRA के तहत केवल 7 अपराध "समाधेय" थे।

समाधेय अपराध:

- समाधेय अपराध वे अपराध हैं जहाँ शकियतकर्त्ता (जसिने मामला दर्ज किया है, यानी पीड़ित), समझौता करता है और आरोपी के खिलाफ आरोपों को हटाने के लिये सहमत होता है। हालाँकि समझौते में यह ध्यान रखना होता है कि समझौता परामाणिक या वास्तविक हो।
- FCRA उल्लंघन जो अब कंपाउंडेबल हो गए हैं, उनमें वदेशी धन की प्राप्ति के बारे में सूचित करने में वफिलता, बैंक खाते खोलना, वेबसाइट पर जानकारी देने में वफिलता आदि शामिल हैं।

प्रस्ताव का महत्त्व:

- **प्रेषण बढ़ाएगा:**
 - यह धन के बहरिवाह पर अंकुश लगाएगा और दूसरी ओर आवक **प्रेषण** को बढ़ाएगा।
- **वदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर करना:**
 - इससे भारत में धन की आमद में वृद्धि होगी जो **वदेशी मुद्रा भंडार** और मुद्रा को भी स्थिर करेगा।
 - इसी तरह सोने पर आयात शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 12.5% करने से सोने का आयात हतोत्साहित होगा क्योंकि इससे भारत में सोने की कीमत में वृद्धि होगी।
- **व्यापार घाटा कम करना:**
 - सोने के आयात के कारण धन के प्रवाह में वृद्धि और धन के बहरिवाह में कमी से **व्यापार घाटे** को कम करने में मदद मिलेगी।
 - अप्रैल और मई 2022 के महीने में व्यापार घाटा क्रमशः 20.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 24.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर रहा, जिससे दो महीनों में यह कुल मिलाकर 44.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
 - तुलनात्मक रूप से अप्रैल और मई 2021 में व्यापार घाटा 21.8 अरब डॉलर रहा।

स्रोत: हदुस्तान टाइम्स